भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-311
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाना

***311. श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के निर्णय से देश के दूरस्थ, निर्धन, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में विद्यालयों के बंद होने के बाद बालिकाओं की साक्षरता दर और विद्यालयों में उनकी उपस्थिति कम हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विद्यालयों के बंद होने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाने के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि देश में किसी भी विद्यालय को बंद करने से पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, जातीय और आर्थिक स्थिति का समुचित अध्ययन किया जाएगा; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा स्कूलों को खोलना, मिला देना/बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है, जो बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक केंद्रीय विधान है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है तथा पड़ोस के स्कूलों के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है। तथापि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के ढांचे के तहत, विस्तृत नियम बनाना, प्रशासनिक आदेश जारी करना और अपने शिक्षा विभागों एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है।

प्राथमिक विद्यालयों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आरटीई अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा विद्यालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पैरा 7.4 इस बात को रेखांकित करता है कि यद्यपि स्कूलों का समेकन एक विकल्प है जिसकी अक्सर चर्चा की जाती है, फिर भी इसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चों की पहुँच पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बेहतर अधिगम परिणाम और उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राप्त करने के लिए, कुछ राज्यों ने जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अपेक्षाकृत बड़े स्कूल स्थापित करने हेतु उपयुक्त कार्यनीतियाँ अपनाई हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडाइज +) प्रणाली विकसित की है। यूडाइज पोर्टल पर दर्ज शैक्षिक प्रदर्शन संकेतकों में से एक संकेतक लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) है। लड़कों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) की तुलना में लड़कियों के जीईआर के अनुपात के रूप में मापा गया जीपीआई सभी स्तरों पर 1 से ऊपर रहा, जो लड़कों की तुलना में लड़कियों की आनुपातिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2023-24 के लिए जीपीआई इस प्रकार है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्रारम्भिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	1.01	1.02	1.01	1.00	1.03
2023-24	1.03	1.02	1.02	1.02	1.07

यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक पहुँच में सुधार लाने की दिशा में प्रगति हुई है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2024-25 के सकल पहुँच अनुपात (जीएआर) से यह स्पष्ट होता है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) उस वर्ष के कुल गांवों/बस्तियों में से उन गांवों/बस्तियों की कुल संख्या है जिनमें निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत स्कूल हैं।

शिक्षण प्रणाली की स्थिति की जांच करने तथा छात्रों की अधिगम उपलब्धि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए एनएएस का नवीनतम दौर, अर्थात परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण), दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था। पीआरएस, एनएएस 2021 की तुलना में कक्षा 3 के छात्रों के भाषा और गणित में औसत अंकों में सुधार दर्शाता है। इसके अलावा, यह यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों का प्रदर्शन शहरी स्कूलों से बेहतर है और सरकारी स्कूलों ने कक्षा 3 स्तर पर निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परख 2024 रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर दिनांक 2 जुलाई, 2025 को सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दी गई है। इसे https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर देखा जा सकता है।

*****